

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-405/2019

1. अमित कुमार पुत्र महावीर } पि० लालचन्द जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला  
2. अमनदीप पुत्र मोहनलाल } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र नानूराम } जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील  
2. अजय सिंह पुत्र भूपसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
3. राकेश कुमार पुत्र भूपसिंह }  
4. रामसिंह पुत्र भूपसिंह जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ (मृतक)
- 4/1. प्रमिला पत्नी रामसिंह पुत्र भूपसिंह जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 4/2. निशिता पुत्री रामसिंह } नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता प्रमिला पत्नी  
4/3. अवनी पुत्री रामसिंह } रामसिंह जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी।
5. मोहनलाल पुत्र लालचन्द } जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी  
6. महावीर पुत्र लालचन्द } जिला हनुमानगढ।  
7. दिनेश कुमार } पि० महावीर }  
8. पंकज कुमार }  
9. योगेश कुमार पुत्र मोहनलाल }
10. अगन्द कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ।
11. राधारानी } पुत्रियाँ लालचन्द जाति जाट निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी  
12. बिरखादेवी } जिला हनुमानगढ।  
13. इमानती }  
14. निर्मला देवी }  
15. कमलादेवी }
16. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादीसं० 1 अमितकुमार, प्रतिवादीसं० 6 महावीर, प्रतिवादीसं० 7 दिनेश कुमार, प्रतिवादीसं० 8 पंकज कुमार को ब०हि०ब० चकनं० 4 सीडीआर के प०न० 231/226 मु० 15 किलानं० 9,10/.506, 1/2/.127 दक्षिणी दिशा, ख. वादीसं० 2 अमनदीप, प्रतिवादीसं० 5 मोहनलाल, प्रतिवादी सं० 9 योगेश कुमार ब०हि०ब०-चकनं० 4 सीडीआर के प०न० 231/225 मु० 6 किलानं० 21, प०न० 231/226 मु० 15 किलानं० 1/2/.063, 1/3/.038, 1/4/.025 है० गै०मु० खाला,



सहायक कलक्टर  
उपखण्डाधिकारी  
टिब्बी

प०न० 230/226 मु० 16 किलानं० 3/1/.228, 3/2/.025 गौमु० खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० खाला, 5/1/.164, 5/2/.051 है० खाला, 6/1/.190, 6/2/.025 है० खाला, 7,8,13,14, 15/1/.190, 15/2/.025, 17,18, प०न० 230/225 मु० 5 किलानं० 25 ग.प्रतिवादीसं० 2 अजयसिंह को चकनं० 7 एफटीपी के प०न० 214/244 मु० 10 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 खाला, 3/1/.228, 3/2/.025 खाला, 8,9,10, 11/.114 उतरी दिशा, 12,13,18,19, घ.प्रतिवादीसं० 3 राकेशकुमार को चकनं० 4 सीडीआर के प०न० 226/227 मु० 21 किलानं० 21 ता 23, 24/.126, 25/.127 दक्षिणी दिशा,प०न० 226/228 मु० 40 किलानं० 1 ता 4,7, चक 4 सीडीआर प०न० 230/226 मु० 16 किलानं० 23 इ.प्रतिवादीसं० 4/1 प्रमिला को चकनं० 4 सीडीआर के प०न० 226/228 मु० 40 किलानं० 8,9,10,11,12,13,14,17, प०न० 226/227 मु० 21 किलानं० 24/.127, 25/.126 उतरी दिशा, चकनं० 2 एफटीपी के प०न० 225/228 मु० 7 किलानं० 15 च.प्रतिवादीसं० 5 मोहनलाल को प्राप्त आराजी:- चकनं० 7 एफटीपी के प०न० 214/246 मु० 34 किलानं० 9,10 छ.प्रतिवादीसं० 6 महावीर को प्राप्त आराजी:-चकनं० 7 एफटीपी के प०न० 213/244 मु० 11 किलानं० 4/1/.228, 4/2/.025 खाला,5/1/.228,5/2/.025 खाला, 6,7,14,15,16, प०न० 214/244 मु० 10 किलानं० 11/.139 दक्षिणी दिशा, प०न० 214/246 मु० 34 किलानं० 4,5,7,8, के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि का खाता अलग से कायम किया जाकर चकनं० 4 सीडीआर के खाता सं० 140/139 मे से अजयसिंह, लालचन्द,शारदा देवी, रामसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 4 सीडीआर के खाता सं० 141 मे से अजय, अल्का, गुड्डी, प्रमीला, बोगो, मूर्ति, राकेश, रोशनी,लालचन्द,शारदा देवी, रामसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 2 एफटीपी के खाता सं० 94 में से अजयसिंह, अलका देवी, गुड्डी देवी, प्रेमादेवी, बोगी देवी, मूर्ति देवी, राकेश कुमार, रामसिंह, रोशनी देवी, लालचन्द, शारदा देवी का नाम कलमजन, चकनं० 7 एफटीपी के खाता सं० 146/128 मे से अल्का देवी, गुडी, पेमादेवी, बोगीदेवी, मूर्तिदेवी,राकेश कुमार, रामसिंह,रोशनीदेवी,लालचन्द,शारदा देवी व चकनं० 4 सीडीआर के खाता सं० 3/3 में से भूपसिंह का नाम कलमजन व चकनं० 4 सीडीआर के खाता सं० 3/3 में प्रतिवादीसं० 10 का हिस्सा यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....24.1.2020.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी